आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए का प्रकरण संख्या 51/2020 (GCMS 2020/00122) सरकार <u>बनाम</u> श्री रामेश्वरलाल पुत्र धोकलराम जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा, पुलिस थाना पांचू, बीकानेर जिला बीकानेर

<u>03.02.2021</u>

विभागीय प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित एवं अप्रार्थी रामेश्वर लाल के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 22.05.2020 को थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1818 दिनांक 21.05.2020 द्वारा पंजाब राजस्थान के अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित साधुवाली पुलिस चैक पोस्ट पर एक अवैध डीजल का परिवहन/तस्करी करते हुए वाहन (ट्रक संख्या आरजे–07जीए–4341) को डिटेन करने की सूचना देने पर श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी हमराह सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी(मुख्यालय) व श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर डिटेन किये गये वाहन की साधुवाली स्थिति पुलिस चैक पोस्ट पर आवश्यक जांच व कार्यवाही करने हेतु पहुंचे तो चालक पूनाराम पुत्र हेमराम ने बताया कि वह ट्रक संख्या (ट्रक संख्या आरजे–07जीए–4341 में दिनांक 19.05.2020 को फलौदी (जोधपुर) से प्याज लेकर श्रीगंगानगर सब्जी मण्डी के लिए रवाना हुआ, सब्जी मण्डी मे प्याज अनलोड किया। उसके उपरान्त दिनांक 21.05..2020 को वह ट्रक लेकर पंजाब के लिए रवाना हुआ जहां पर ट्रक का मालिक श्री रामेश्वर लाल पुत्र धोकलराम पहले से ही किसी पैट्रोल पम्प पर उपस्थित [illegible] पूनाराम के कथनानुसार ट्रक में डीजल, ट्रक मालिक द्वारा [illegible] गया, उसका व उसके साथ कुतर(हरा चारा) कटिंग की मशीन सहित ट्रक में आये श्री [illegible] पुत्र श्री हरचंदराम का व पूनाराम ड्राईवर द्वारा अपने लिखित ब्यान में इस डीजल से कोई संबंध न होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि ट्रक में उपस्थित तीसरे व्यक्ति रामेश्वर पुत्र धोकलराम जो कि ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341 का मालिक है, उसके द्वारा भी यह भी स्वीकार किया गया है कि उसका वाहन फलौदी से श्रीगंगानगर प्याज विक्रय हेतु लाया व श्रीगंगानगर की सब्जी मण्डी में खाली किया और उसके द्वारा पंजाब स्थित पैट्रोल पम्प M/s HIGHWAY FULES VILL., GIDDERANWALI ABOHAR GANGANAGAR ROAD DIST. FAZILKA (PUNJAB) से 4994.78 लीटर डीजल खरीद किया गया इसमें से 4800 लीटर डीजल 24 ड्रमों में तथा 194.78 लीटर ट्रक के फ्यूल टैंक में डलवाया गया। इस संबंध में उसके द्वारा कुल 9 बिल भी पेश किये गये जो जांच करने पर दिनांक 21.05.2020 के उक्त पैट्रोल पम्प द्वारा जारी किये गये और डीजल की मात्रा का मिलान करने पर भी इतने पाये गये।

उनका आगे कथन है कि मुताबिक ब्यान फर्द पूछताछ करने पर ट्रक चालक श्री रामेश्वर लाल द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण खरीदा गया, जो उसके द्वारा सूरतगढ थर्मल प्लांट लेकर जाना था और उसके द्वारा अपने वाहन से मुताबिक पूछताछ बयान फलाई ऐश व सीमेंट परिविहन कार्य मैसर्स गजानन्द ट्रांसपोट, सिरोही हेतु किया जाता है। उसके द्वारा स्वेच्छा से बिल प्राप्त कर डीजल भरवाया गया तथा मौके पर जांच अधिकारी को कुल 09 बिल मात्रा 4994.78 लीटर के पेश किये है जो डीजल राशि देकर खरीदा गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित जिन व्यक्तियों के नाम से [illegible] पेश किये गये है किसी भी व्यक्ति द्वारा डीजल के स[illegible] जिससे स्पष्ट है कि उक्त समस्त 4800 लीटर [illegible] ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी रामेश्वलाल के पास उक्त 4800 लीटर डीजल के परिवहन व भण्डार के सम्बन्ध में कोई प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस/परमिट आदि नहीं है। इस प्रकार उसके द्वारा **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उपरोक्त जब्तशुदा 4800 लीटर मय 24 ड्रम व एक ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341 को राजसात किया जावे।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्ती की दिनांक को जब्त किये गये वाहन आरजे–07–जीए–4341 को राजसात करने की दशा में मूल्य 5.00 लाख (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाये।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक दिनांक 05.10.2020 के लिखित जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.05.2020 को वाहन आरजे–07–जीए–4341 में अप्रार्थी बिल शुदा 4994 लीटर डीजल खरीद कर लाया है जिसमें बृजमोहन पुत्र हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी रावों की ढाणी, डाबर मूल पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर (900 लीटर), प्रार्थी राम**श्वर लाल पुत्र धोकलराम** (900 लीटर) **पूर्ण चन्द पुत्र हेतराम** (900 लीटर), **विरेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर लाल** (900 लीटर) **श्याम लाल पुत्र जयसुखराम** (900 लीटर), **सुरेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर लाल** (300 लीटर) एवं वाहन [illegible] लीटर डीजल डलवाया गया है जिसके बिल व रिफलिंग पर्ची भी प्रार्थी के [illegible] है, परन्तु बिल को स्वीकार नहीं किया और रिफलिंग की पर्चियां [illegible] ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि बृजमोहन द्वारा एग्रीकल्चर का औजार खरीद कर प्रार्थी के ट्रक में रखा हुआ था। प्रार्थी, चालक व बृजमोहन द्वारा अपनी इच्छा से कोई बयान दर्ज नहीं करवाये गये बल्कि मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर बयान दर्ज कर हस्ताक्षर करवाये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी व अन्य व्यक्ति पेशे से कृषक है जो पंजाब मे डीजल सस्ता होने के कारण अपने कृषि कार्य के लिए खरीदकर ले जा रहे थे और प्रार्थी रामेश्वर लाल का ट्रक प्याज लेकर आया था और जावे वक्त बृजमोहन के कृषि का औजार व उक्त सभी व्यक्तियों ने डीजल खरीदकर ट्रक में रखवाया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि वाहन प्रार्थी चालक व बृजमोहन बैठे थे। चालक द्वारा उक्त वाहन में 194 लीटर डीजल डलवाया था व शेष 4800 लीटर डीजल क्रमशः बृजमोहन, प्रार्थी, पूर्णचन्द, विरेन्द्र, श्यामलाल व सुरेन्द्र द्वारा खरीद किया गया था। बृजलाल के अलावा अन्य व्यक्ति डीजल खरीदकर ट्रक में डलवाने के पश्चात श्रीगंगानगर में अन्य खरीददारी के लिए चले गये एवं जाते वक्त कह गये कि वह बीकानेर बाईपास पर प्रार्थी को मिल जायेगें परन्तु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के वाहन को साधुवाली चैकपोस्ट पर रोक लिया गया जिससे अन्य डीजल खरीदशुदा व्यक्ति वाहन में मौजूद नहीं रहे। उक्त ट्रक में परेशानी ना हो समस्त बिल व रिफलिंग पर्ची प्रार्थी के पास ही थी, जो मौका पर दिखाई गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य सरकार के अधिकतम डीजल खरीद मात्रा 1000 लीटर से कम डीजल खरीद किया गया है। उक्त डीजल कृषि कार्य क लिये ले जाया जा रहा था। प्रार्थी पेशे से कृषक है प्रार्थी को ना तो उक्त डीजल विक्रय करते हुए, तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों द्वारा डीजल का परिवहन विधिनुसार किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसलिए उनसे जब्तशुदा 4800 लीटर मय 24 ड्रम व एक ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341 वापिस दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

8/2/2021
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 22.05.2020 को थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1818 दिनांक 21.05.2020 द्वारा पंजाब राजस्थान के अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित साधुवाली पुलिस चैक पोस्ट पर एक अवैध डीजल का परिवहन/तस्करी करते हुए वाहन (ट्रक संख्या आरजे–07जीए–4341) को डिटेन करने की सूचना देने पर श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी हमराह सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी(मुख्यालय) व श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर डिटेन किये गये वाहन की साधुवाली स्थिति पुलिस चैक पोस्ट पर आवश्यक जांच व कार्यवाही करने हेतु पहुंचे तो चालक पूनाराम पुत्र हेमराम ने बताया कि वह ट्रक संख्या (ट्रक संख्या आरजे–07जीए–4341 में दिनांक 19.05.2020 को फलौदी (जोधपुर) से प्याज लेकर श्रीगंगानगर सब्जी मण्डी के लिए रवाना हुआ, सब्जी मण्डी मे प्याज अनलोड किया। उसके उपरान्त दिनांक 21.05..2020 को वह ट्रक लेकर पंजाब के लिए रवाना हुआ जहां पर ट्रक का मालिक श्री रामेश्वर लाल पुत्र धोकलराम पहले से ही किसी पैट्रोल पम्प पर उपस्थित था। श्री पूनाराम के कथनानुसार ट्रम में डीजल, ट्रक मालिक द्वारा स्वयं राशि चुकता कर भरवाया गया, उसका व उसके साथ कुतर(हरा चारा) काटने की मशीन लेने ट्रक में आये श्री बृजमोहन पुत्र श्री हरचंदराम का व पूनाराम ड्राईवर द्वारा अपने लिखित ब्यान में इस डीजल से कोई संबंध न होना बताया। ट्रक में उपस्थित तीसरे व्यक्ति रामेश्वर पुत्र धोकलराम जो कि ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341 का मालिक है, उसके द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उसका वाहन [illegible] से श्रीगंगानगर प्याज विक्रय हेतु लाया व श्रीगंगानगर की सब्जी मण्डी में [illegible] किया और उसके द्वारा पंजाब स्थित पैट्रोल पम्प M/s HIGHWAY FUELS [illegible], GIDDERANWALI ABOHAR GANGANAGAR ROAD DIST. FAZILKA (PUNJAB) से 4994.78 लीटर डीजल खरीद किया गया इसमें से 4800 लीटर डीजल 24 ड्रमों में तथा 194.78 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

ट्रक के फ्यूल टैंक में डलवाया गया। इस संबंध में उसके द्वारा कुल 9 बिल भी पेश किये गये जो जांच करने पर दिनांक 21.05.2020 के उक्त पैट्रोल पम्प द्वारा जारी किये गये और डीजल की मात्रा का मिलान करने पर भी इतने पाये गये। मुताबिक ब्यान फर्द पूछताछ करने पर ट्रक चालक श्री रामेश्वर लाल द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण खरीदा गया, जो उसके द्वारा सूरतगढ थर्मल प्लांट लेकर जाना था और उसके द्वारा अपने वाहन से मुताबिक पूछताछ बयान फलाई ऐश व सीमेंट परिवहन कार्य मैसर्स गजानन्द ट्रांसपोट, सिरोही हेतु किया जाता है, उसके द्वारा स्वेच्छा से बिल प्राप्त कर भरवाया गया तथा मैके पर जांच अधिकारी को कुल 09 बिल मात्रा 4994.78 लीटर के पेश किये गये जो डीजल राशि देकर खरीदे गये है। अप्रार्थी रामेश्वलाल के पास उक्त 4800 लीटर डीजल के परिवहन व भण्डार के सम्बन्ध में कोई प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस/परमिट आदि नहीं है। इस प्रकार उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उपरोक्त जब्तशुदा 4800 लीटर मय 24 ड्रम व एक ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341को राजसात किया जावे एवं जब्त किये गये उक्त वाहन आरजे–07–जीए–4341 को उसके बाजार मूल्य 5.00 लाख (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाये।

अप्रार्थी रामेश्वर लाल द्वारा जो उक्त 4994 लीटर डीजल खरीद के जो बिल पेश किये है, वे निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. स.	बिल क्रमांक	दिनांक	नाम	डीजल की मात्रा (लीटर में)
1	12946	21.05.20	रामेश्वर लाल पुत्र धोकल राम	900
2	12947	21.05.20	पूर्णचन्द पुत्र हेतराम	900
3	12948	21.05.20	बृजमोहन पुत्र हरचन्द	900
4	12949	21.05.20	विरेन्द्र पुत्र रामेश्वर लाल	900
5	12950	21.05.20	सोहन लाल पुत्र जयसुखराम	900
6	12951	21.05.20	सुरिन्द्र पुत्र रामेश्वर लाल	300
			योग	**4800**

उक्त डीजल को मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 निम्न प्रकार से है :

2(क्यू)(थ) अप्राधिकृत विक्रय (Unauthorised Sale) से राज्य सरकार या तेल कंपनियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन में या इस आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन से किसी व्यौहारी या उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उत्पाद का विक्रय अभिप्रेत है।

2(आर)(द) अप्राधिकृत कब्जा (Unauthorised Possession) से इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या किसी पेट्रोलियम उत्पाद या उसके मिश्रण का, संबंधित तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए किन्हीं विक्रय दस्तावेजों के बिना व्यौहारी या किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन रखना, अभिप्रेत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

2021
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. उत्पाद का प्रदाय और परिवहन :
3(4) व्यौहारी या तेल कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति उत्पाद के विक्रय में नहीं लगेगा।
3(6) कोई व्यौहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रीति में कोई भी एक या अधिक अनाचार (malpractice) नहीं करेगा
4. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन पर निर्बन्धन:
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का उपभोक्ताओं या व्यवहारियों को विपणन और विक्रय नहीं करेगा।

उक्त धारा 2(क्यू)(आर), 3(4)(6) एवं 4 मे अंकित शब्द व्यौहारी या उपभोक्ता और तेल कंपनी की परिभाषा निम्न प्रकार से हैः

2(ग)उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी तेल कंपनी से या व्यौहारी से, जिसको किसी तेल कम्पनी द्वारा नियुक्त किया गया हो, उत्पाद क्रय करता है और उत्पाद का भंडार या उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए करता है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता भी हैः

2(घ) व्यौहारी(Dealer) से, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तेल का क्रम, ग्रहण, भंडार और विक्रय करने के लिए चाहे वह किसी अन्य कारबार के सहयोजन में हो अथवा नहीं, किसी तेल कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्ति कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी और अभिकर्ता भी है

2(ज) तेल कंपनी (Oil Company) से इंडियन ऑइल कापोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड, आई बी पी के लिमिटेड या केन्द्रीय सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकथित अनुबंधों (stipulations) के अनुसार, सीधे उपभोक्ता या व्यौहारी को मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल के विपणन या विक्रय में लगी हुई है।

चूंकि अप्रार्थी क्रेता एक साधारण ग्राहक है **जो उक्त** धारा में अंकित शब्द **व्यौहारी या उपभोक्ता और तेल कंपनी की परिभाषा के अन्तर्गत नही आते है। इसलिए मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(क्यू)(आर) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।**

उक्त के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) निम्न प्रकार से है जिसका उल्लंघन बताया गया है।

> **(झ) फुटकर विक्रय से एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लीटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकता है, अभिप्रेत है।**

चूंकि हस्तगत प्रकरण में 4800 लीटर डीजल को मय वाहन (ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341) को राजसात करने की प्रार्थना की है जिसके अप्रार्थी रामेश्वर लाल द्वारा उक्तानुसार बिल पेश किये गये है। प्रत्येक बिल अलग–अलग नाम से खरीद के है जिसके अनुसार बृजमोहन पुत्र हरचन्द जाति (900 लीटर), प्रार्थी रामेश्वर लाल पुत्र धोकलराम (900 लीटर) पूर्ण चन्द पुत्र हेतराम (900 लीटर), विरेन्द्र पुत्र श्री रामे[illegible] (900 लीटर) श्याम लाल पुत्र जयसुखराम (900 लीटर), [illegible] पुत्र श्री राम[illegible] लाल (300 लीटर) है। प्रत्येक डीजल क्रेता का बिल उसक[illegible] 2500 [illegible] से कम अर्थात 1000 लीटर से भी कम के है। उक्त व्यक्तियों के बिल फर्जी होने या उक्त नाम के कोई व्यक्ति है अथवा नहीं? इसका भी कोई साक्ष्य विभागीय पक्ष की ओर से पेश नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

8/2/2021
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गया है, जिसके अभाव में इन्हें फर्जी भी नहीं माना जा सकता। जबकि उक्त पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) के अनुसार 2500 लीटर एक ग्राहक को विक्रय किया जा सकता है अर्थात एक व्यक्ति अपने कब्जे में 2500 लीटर रख सकता है जबकि डीजल बिलों के अनुसार क्रेता छः व्यक्ति है, इस प्रकार उक्त छः व्यक्तियों का द्वारा 4800 लीटर डीजल, जो प्रत्येक ग्राहक के लिए निर्धारित सीमा 2500 लीटर से कम है। चूंकि अप्रार्थी एक साधारण ग्राहक है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 एवं पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है।** इसलिए जब्तशुदा 4800 लीटर डीजल व वाहन प्रार्थी के विरूद्ध जब्तशुदा वाहन (ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341) राजसात करने योग्य नहीं ठहरते है।

अतः जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जब्तशुदा 4800 लीटर डीजल मय 24 ड्रम व एक ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341 को राजसात करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त जब्तशुदा वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–4341 अप्रार्थी वाहन स्वामी रामेश्वर लाल को 900लीटर डीजल एवं अन्य व्यक्तियों का क्रयशुदा डीजल प्रत्येक के बिल अनुसार उसकी पूर्ण पहचान कर नियमानुसार लौटाया जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को [illegible] भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:22 IST
Reason: SelfAttested

3/2/2021

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर